



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 155 राँची, बुधवार,

6 अप्रैल, 2022 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

1 अप्रैल, 2022

अधि० सं०-02/ स्था०श्र०नि०प्र० (सामान्य)-18-10/2018श्र०नि०-553--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद द्वारा झारखण्ड राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली

2022

अध्याय-1

प्रारम्भिक**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-**

- (1) यह नियमावली “झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली 2022” कहलाएगी ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (3) यह नियमावली राजकीय गज़ट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ : -

- (i) ‘राज्य’ से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य ।
- (ii) ‘सरकार’ से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।
- (iii) ‘प्रशासी विभाग’ से अभिप्रेत है श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड ।
- (iv) ‘सेवा’ से अभिप्रेत है, झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) ।
- (v) ‘संवर्ग’ से अभिप्रेत है, झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) की मूल कोटि श्रम अधीक्षक एवं समकक्ष स्तर, सहायक श्रमायुक्त एवं समकक्ष स्तर, उप श्रमायुक्त एवं समकक्ष स्तर, संयुक्त श्रमायुक्त एवं समकक्ष स्तर तथा अपर श्रमायुक्त एवं समकक्ष स्तर । समकक्ष स्तर से तात्पर्य उन पदों से है, जो मूल रूप में श्रम अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, संयुक्त श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त के पद हैं परंतु, पदनाम भिन्न हैं यथा श्रमायुक्त के सचिव, श्रम अधीक्षक का पद है ।
- (vi) ‘नियुक्ति प्राधिकार’ से अभिप्रेत है, राज्य सरकार ।
- (vii) ‘आयोग’ से अभिप्रेत है, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची ।
- (viii) ‘नियमावली’ से अभिप्रेत है, झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 ।
- (ix) ‘अधिकृत संवर्ग बल’ से अभिप्रेत है, नियमावली के नियम-10 के अधीन यथा विहित विभिन्न कोटि में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत बल ।

प्राधिकृत संवर्गीय कार्य बल आवश्यकतानुसार समय-समय पर पदों के सृजन एवं समाप्ति के बाद सेवा का कार्यबल स्वतः संशोधित अधिकृत बल समझा जाएगा ।

अध्याय -2**सीधी भर्ती /नियुक्ति**

3. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग से नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मौलिक ग्रेड यथा श्रम अधीक्षक के कुल स्वीकृत बल के 75% पदों पर परीक्ष्यमान रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की होगी।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं विषयों का निर्धारण आयोग एवं सरकार के द्वारा की जाती है, जिसमें समय-समय पर सरकार द्वारा यथावांछित संशोधन किया जा सकेगा।

4. **रिक्तियों का नियतीकरण:-** विभाग समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1^{ली} जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा। उक्त रूप में परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लीयरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को 28/29 फरवरी तक भेज देगा।

5. **रिक्तियों में आरक्षण:-** सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट आरक्षण नीति/रोस्टर यथा रूप प्रभावी होगी।

6. **सीधी भर्ती/नियुक्ति के लिए योग्यता/अर्हताएं:-**

(1) शैक्षणिक योग्यता :- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष होगी।

(2) उम्र :- श्रम सेवा (सामान्य) के मूल पद पर सीधी नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की आयु सीमा अधियाचना वर्ष की पहली अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होगी तथा अधिकतम आयु सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं०-29 दिनांक-04-01-2021 तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप लागू होगी।

(3) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं०-13026 दिनांक-27-11-2012, संकल्प सं०-7358 दिनांक-12-09-2019 तथा संकल्प सं०-3928 दिनांक-11-08-2020 के आलोक में निम्न रूप से होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र/संकल्प के आलोक में संशोधित होगा :-

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति /जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

7. **संवर्ग की संख्या और संरचना:**

नियम-10 के अधीन गठित संवर्गीय संरचना के अनुसार पदों का निर्धारण राज्य सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा किया जायेगा और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

वर्तमान में संवर्गीय अधिकृत बल एवं प्रतिशत निम्न रूप से है :-

पदनाम	अधिकृत बल	प्रतिशत
अपर श्रमायुक्त	03	4.00
संयुक्त श्रमायुक्त	05	6.67
उप श्रमायुक्त	10	13.33
सहायक श्रमायुक्त	14	18.67
श्रम अधीक्षक	43	57.33
कुल	75	100.00

8. **"संवर्ग नियंत्रण"** - श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग इस संवर्ग का नियंत्री विभाग होगा तथा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

अध्याय-3**श्रम अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया**

9. **श्रम अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति:-** मौलिक ग्रेड के कुल पदों का 25% पद, श्रमायुक्त, झारखण्ड के क्षेत्राधीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम कल्याण पदाधिकारी तथा श्रम सांख्यिकी संवर्ग के मूल कोटि के कर्मियों से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के माध्यम से भरे जायेंगे।

1) किसी भी संव्यवहार में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले रिक्त पदों का 89% श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए, 5% श्रम कल्याण पदाधिकारी के लिए तथा 6% श्रम सांख्यिकी संवर्ग के लिए कर्णांकित रहेंगे।

(2) आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में मौलिक ग्रेड के पदों पर प्रोन्नति दी जाएगी।

(3) यदि पदाधिकारियों की भर्ती एक साथ ही प्रोन्नति और सीधी नियुक्ति से की जाए तो।

(i) प्रोन्नति से नियुक्त पदाधिकारियों को सीधे भर्ती किए गए पदाधिकारियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।

(ii) प्रोन्नत पदाधिकारियों का आपसी क्रम वही होगा जो निचली सेवा में उनका था।

(4) श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम कल्याण पदाधिकारी, श्रम सांख्यिकी संवर्ग (सभी तीनों संवर्ग के मूल कोटि पद का वेतनमान- रु 9300-34800, ग्रेड वेतन- रु 4200) से प्रोन्नत श्रम अधीक्षकों की आपसी वरीयता का निर्धारण निम्न रूप से किया जाएगा:-

यदि ऐसा कोई योग्यताक्रम निर्धारित नहीं किया गया हो तो जिस व्यक्ति को अधिक वेतन मिलता हो या जिसे निम्न पदों पर जिनसे वह प्रोन्नत किया गया हो, उच्च वेतनमान में वेतन मिलता हो, वरीय माना जाएगा। यदि उसके वेतनमान समान हो, तो जिस व्यक्ति को अधिक वेतन मिलता हो, उसका स्थान दूसरे से उपर माना जाएगा। यदि ऐसे दो व्यक्ति विभिन्न सेवाओं के समान वेतनमान में एक ही प्रक्रम पर वेतन पाते आ रहें हों तो प्रोन्नत होने पर उनकी वरीयता का निर्धारण उम्र के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय- 4

10. **सेवा की संरचना :-** इस सेवा में निम्न प्रकार से वर्गीकृत पाँच कोटियां होंगी -

क्र०	पदनाम एवं वेतनमान	
(i)	अपर श्रमायुक्त एवं समकक्ष स्तर (वेतनमान-37600-67000 ग्रेड पे -8900, पुनरीक्षित वेतनमान -	समूह -क

	13A)	राजपत्रित
(ii)	संयुक्त श्रमायुक्त एवं समकक्ष स्तर (वेतनमान-37400-67000 ग्रेड पे-8700, पुनरीक्षित वेतनमान- level-13)	
(iii)	उप श्रमायुक्त एवं समकक्ष स्तर (वेतनमान-15600-39100 ग्रेड पे -7600, पुनरीक्षित वेतनमान - level -12)	
(iv)	सहायक श्रमायुक्त एवं समकक्ष स्तर (वेतनमान-15600-39100 ग्रेड पे -6600, पुनरीक्षित वेतनमान - level -11)	
(v)	मूल कोटि के पद श्रम अधीक्षक (वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे -5400, पुनरीक्षित वेतनमान - level -9)	समूह -ख राजपत्रित

11. प्रशिक्षण -

(1) प्रारम्भिक प्रशिक्षण :-

श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग के सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति के उपरांत 90 दिनों का संस्थागत प्रशिक्षण राज्य श्रम संस्थान, राँची में प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) सेवा कालीन प्रशिक्षण :-

श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग में नियुक्त सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक उच्चतर पद पर प्रोन्नति अथवा दस वर्ष की सेवा पूर्ण होने, जो भी पहले हो, के उपरांत एक माह का सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम राज्य श्रम संस्थान द्वारा प्रशासी विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जाएगा।

12. सेवा-सम्पुष्टि एवं वेतनवृद्धि -

सम्पुष्टि:- श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग के सभी पदाधिकारियों को सेवा सम्पुष्टि के लिए दो वर्षों की परीक्ष्यमान अवधि कुशलतापूर्वक पूर्ण करना, संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के सभी विषयों यथा- विधि भाग-I, विधि भाग-II, लेखा, हिन्दी, कम्प्यूटर (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक) में उच्च स्तर से उत्तीर्ण एवं जनजातीय भाषा में निम्न स्तर

से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। परीक्ष्यमान अवधि के दौरान वार्षिक गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति संतोषप्रद नहीं रहने, निलंबित रहने, विभागीय कार्यवाही संचालित रहने, दंडित रहने अथवा न्यायिक/आपराधिक वाद में आरोप पत्रित रहने की स्थिति में संपुष्टि बाधित होगी।

वेतनवृद्धि:- श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग के सभी पदाधिकारियों को प्रथम वेतनवृद्धि एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा अवधि पूर्ण होने अथवा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के सभी विषयों यथा- विधि भाग-I, विधि भाग-II, लेखा, हिन्दी, कम्प्यूटर (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक) में उच्च स्तर से तथा जनजातीय भाषा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगी, बशर्ते सेवा संतोषप्रद हो।

जिन पदाधिकारियों को प्रथम वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जा चुकी है, उन्हें 02 (दो) वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय वेतनवृद्धि देय होगी।

तीसरी वेतनवृद्धि तीन वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने तथा सेवा संपुष्टि के उपरांत देय होगी।

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण अवरुद्ध वेतनवृद्धि का प्रभाव संचयात्मक नहीं होगा, किन्तु अवरुद्ध वेतनवृद्धि के कारण विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि के पूर्व का बकाया देय नहीं होगा।

विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की तिथि वही मानी जाएगी जैसा कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड के संकल्प संख्या- 3372 दिनांक- 18-06-2003 के भाग-I के नियम - 9 में प्रावधानित है।

अध्याय -5

13. सेवा से बर्खास्तगी अथवा प्रत्यावर्तन -

- (1) झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) के वैसे पदाधिकारी जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया है तथा राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि इनको अब सेवा में नहीं रखा जा सकता है अर्थात् सेवा में रखने के लायक नहीं हैं, तो सेवा बर्खास्तगी के पूर्व झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त कर लेना अपेक्षित होगा। झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) के वैसे पदाधिकारी जिनकी पर्यवेक्षण-क्षमता पद के अनुकूल नहीं है तथा संवर्गीय पद में प्रोन्नति पा चुके हैं, राज्य सरकार को यदि इस आशय का समाधान हो गया है कि ये गुरुतर दायित्व के लायक नहीं हैं तो इनके संवर्गीय पद पर प्रत्यावर्तन की स्थिति में झारखण्ड लोक सेवा आयोग का अभिमत अपेक्षित होगा।
- (2) नियम-17 के प्रावधानानुसार सरकार के निर्णय से ऐसा निर्णय लिया जा सकता है।
- (3) भारत के संविधान में किये गये प्रावधानों के तहत भी समतुल्य कार्रवाई की जा सकती है।

अध्याय -6

14. (1) **प्रोन्नति:-** झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) में सहायक श्रमायुक्त एवं समकक्ष स्तर, उप श्रमायुक्त एवं समकक्ष स्तर, संयुक्त श्रमायुक्त एवं समकक्ष स्तर तथा अपर श्रमायुक्त एवं समकक्ष स्तर के पद वरीयता-सह-योग्यता एवं कालावधि के आधार पर प्रोन्नति से भरे जायेंगे। प्रोन्नति हेतु अनुशंसा विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की जायेगी तथा विभागीय प्रोन्नति समिति समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र/ संकल्प/अधिसूचना के आलोक में गठित होगा ।
- (2) **प्रोन्नति की कालावधि-** प्रोन्नति हेतु कालावधि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3286 दिनांक- 04-04-2014, संकल्प संख्या-10483 दिनांक- 24-10-2014 के अनुसार होगा तथा इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे।
- (3) **विभागीय परीक्षा मे उत्तीर्णता एवं संपुष्टि :-** श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग के सभी पदाधिकारियों को किसी भी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा के सभी विषयों यथा- विधि भाग-I, विधि भाग-II, लेखा, हिन्दी, कम्प्यूटर (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक) में उच्च स्तर से एवं जनजातीय भाषा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होना तथा सेवा संपुष्टि होना अनिवार्य होगा ।
- प्रोन्नति हेतु आरोपों की समीक्षा के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड के संकल्प संख्या-6227 दिनांक-20-11-2008 के प्रावधान तथा इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे ।
15. **वरीयता -** झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) में सीधे नियुक्त पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुशंसित मेधाक्रम के अनुसार संधारित होगी ।
16. **स्थानान्तरण / पदस्थापन** - झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा राज्य सरकार के अनुदेश के आलोक में किया जाएगा ।
17. **अनुशासनिक कार्रवाई** - झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) के पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 में किये गये प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर निर्गत नियम/परिपत्र/संकल्प/ अधिसूचना के आलोक में की जायेगी ।

18. **शिथिल करने की शक्ति** - जहाँ राज्य सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो तो उन कारणों को अभिलिखित करते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग तथा वित्त विभाग के परामर्श से पदाधिकारियों या पदों के वर्गों या कोटियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने के संबंध में राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी ।

राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जाएगा ।

19. **निर्वचन** - जहाँ इन नियमों या एतद्धीन बनाये गये विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न हो, इस मामले को राज्य सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा, उसपर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।
20. **प्रकीर्ण** - अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में उपर के खंडों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखंड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे ।
21. **निरसन एवं व्यावृत्ति :-**

- (1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर निर्गत नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे ।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कारवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कारवाई की गयी थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
